पत्र सं0:-3ए0-2-वे0पु0-16/2009-**1336-वि0**

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग ।</u>

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार,पटना ।

पटना, दिनांकः-**11/02/2013**

विषयः- **वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के शिड्यूल-II के उपयोग के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0 630, दिनांक 21/01/2010 के शिड्यूल-II में नवनियुक्त कर्मियों के लिए प्रवेश वेतनमान विहित किया गया है । इसी संकल्प की कंडिका 8 में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01/01/2006 को या उसके बाद नवनियुक्त (Fresh Recruit) कर्मियों के लिए प्रवेश वेतनमान शिड्यूल-II के अनुसार अनुमान्य होगा । साथ ही यह भी प्रावधान अंकित है कि दिनांक 01/01/2006 से दिनांक 31/12/2008 के बीच भी नवनियुक्त कर्मियों के लिए शिड्यूल-II में अंकित प्रवेश वेतनमान में वेतन नियतन किया जाएगा ।

2. इस क्रम में वित्त विभागीय पत्रांक 15892, दिनांक 12/11//012 के द्वारा पत्रांक 15777, दिनांक 07/11/2012 को स्पष्ट किया गया है कि शिड्यूल-II, दिनांक 01/01/2006 या उसके बाद 31/12/2008 तक नवनियुक्त कर्मियों पर ही यह लागू है, पूर्व से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नहीं । वित्त विभागीय पत्रांक 11406, दिनांक 15/12/2011 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया जा चुका है कि दिनांक 01/01/2006 के बाद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त, प्रोन्नति एवं वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी Fresh Recruit नहीं हैं; अतः उन्हें शिड्यूल-II के आधार पर वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा ।

3. प्रवेश वेतनमान की अनुमान्यता की तिथि के संबंध में विभागों/कार्यालयों द्वारा स्पष्टीकरण हेतु प्रस्ताव/पत्र प्राप्त हो रहे हैं कि दिनांक 01/01/2009 को या इसके बाद नव नियुक्त कर्मी का वेतनमान नियतन शिड्यूल-II के आलोक में अनुमान्य होगा या नहीं ।

4. इस संबंध में स्पष्ट करना है कि शिड्यूल-II में विहित वेतनमान में प्रवेश वेतन नियतन, दिनांक 01/01/2006 को या उसके बाद नवनियुक्त (Fresh Recruit) कर्मियों के लिए अनुमान्य होगा । यह प्रवेश वेतन दिनांक 01/01/2009 को या उसके बाद की तिथियों में नवनियुक्त कर्मियों (Fresh Recruit) के लिए भी अनुमान्य होगा ।

5. शिड्यूल-II की अनुमान्यता के संबंध में पूर्व के निर्गत पत्रों/परिपत्रों को इस हद तक संशोधित किया जाता है ।

विश्वासभाजन

11.2.13

(प्रभात शंकर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए0-2-वे0पु0-16/2009-**1336-वि0** पटना, दिनांकः-**11/02/2013**

प्रतिलिपिः-सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.2.13

(प्रभात शंकर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए0-2-वे0पु0-16/2009-**1336-वि0** पटना, दिनांकः-**11/02/2013**

प्रतिलिपिः-निबंधक, उच्च न्यायालया, पटना/सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.2.13

(प्रभात शंकर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए0-2-वे0पु0-16/2009-**1336-वि0** पटना, दिनांकः-**11/02/2013**

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.2.13

(प्रभात शंकर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए0-2-वे0पु0-16/2009-**1336-वि0** पटना, दिनांकः-**11/02/2013**

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना का सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय तथा सर्वसाधारण के लिए राज्य सरकार के बेवसाइट पर सुलभ कराया जाय ।

11.2.13

(प्रभात शंकर)
सरकार के अपर सचिव ।